

न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 33/20

GCMS No- 2020/00118

वर्ष 2020

बउनवानी:- 1. श्योकरण पुत्र गिराज मीना निवासी मुई ,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर  
2. छोटा पत्नि गिराज मीना निवासी मुई ,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए-45-46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर

( मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जो(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरुद्ध अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.0156 है0 तथा 1077 रकबा 1.0179 है0 वाके ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 12.6.2019

उपस्थित:-1. श्री उमाशंकर शर्मा  
2. श्री अभिनव जैन

वकील प्रार्थी  
वकील अप्रार्थी

-: निर्णय :-

दिनांक:- 01.12.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरुद्ध के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु पारित अवार्ड दिनांक 12.6.2019 बाबत अवाप्त किये जाने खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.0156 है0 तथा 1077 रकबा 1.0179 है0 वाके ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि पारित अवार्ड विधि विरुद्ध व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त अवार्ड को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली- बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306(अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.0156 है0 तथा 1077 रकबा 1.0179 है0 वाके ग्राम मुई का भी अधिग्रहण किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगणों को सुनवायी का अवसर दिये बिना दिनांक 12.6.2019 द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि का समस्त मुआवजा राशि मय ब्याज के 23,95,404/-रु तय की गयी। इस प्रकार प्रार्थीगण की मुआवजा 6,60,089/-रु प्रति हैक्टेयर की दर से निर्धारित किया गया है। हम प्रार्थीगणों

.....(1).....

जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

(प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 33/2020 श्योकरण वगै. बनाम सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति)


केवल श्योकरण को दिनांक 2.8.2019 को नोटिस भेजा गया है प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 4.3.2020 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणों की दी मुआवजा राशि अन्य समान खातेदारान को दी गयी राशि से काफी कम है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.6.2020 को पत्र के माध्यम से हम प्रार्थीगण को अवगत कराया कि अवार्ड में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं सक्षम न्यायालय में जाकर अनुतोष प्राप्त कर सकते हो। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थीगण की भूमि को मुख्य सड़क से 500 मीटर दूरी पर मानकर 6,60,089/-रु प्रति है० बाजार मूल्य माना गया है पूरे अवार्ड को पढ़ने पर यह प्रकट नहीं होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने कौनसी सड़क को मुख्य सड़क माना है प्रार्थीगण की भूमि भी ग्राम मुई से पचाला की सड़क जो ख०न० 1044 में स्थिति है उसके बराबर ही प्रार्थीगण की जमीन है। इसप्रकार प्रार्थीगण की जमीन मुख्य सड़क से 500 मीटर के अन्दर ही है क्योंकि प्रार्थीगण के बराबर की अन्य भूमि ख.न.,1213,1214,1230, 1235, 1236,1237, 208/2765, 208/2730, 2178/2585, 2177, 2178, 1279, 2185 के मुआवजे की राशि 13,20,167 /-रु प्रति है० तय की गयी है। तथा ग्राम मुई के ही ख०न०1228,1230,1231,1229,1239,2167,2180,2181,2182,2184,की मुआवजा राशि 26,40,336/-रु प्रति है० की दर से निर्धारित किया गया है जबकि प्रार्थीगण की भूमि की मुआवजा राशि मात्र 6,60,089/-रु प्रति है० की दर से निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्त शुद्धा भूमि नगर पालिका सवाईमाधोपुर से 13 किमी है जबकि अवार्ड में उक्त भूमि की दूरी 21 किमी. बतायी गयी है। प्रार्थीगण की भूमि का मुआवजा अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को प्रचलित बाजार दर से दिया जाना चाहिए था किन्तु मुआवजा पुरानी बाजार दर से दिया गया है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थीगण की शेष बची हुई भूमि की उपयोगिता शेष नहीं बची है इसलिए बतौर नुकसान 20 लाख रुपये प्रार्थीगण को दिलवाया जावे। यह तर्क भी दिया कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.8.2021 में भी प्रार्थी के ख०न० के अतिरिक्त उक्त अन्य ख०न० के आस-पास कोई कोई पक्की सड़क नहीं होना बताया गया है मात्र एक पक्की सड़क स०मा० से टोंक जाने वाली है जिसकी दूरी उक्त सभी ख०न० से 2.250 कि.मी है। जब प्रार्थीगण का ख०न० व अन्य ख०न० मुख्य सड़क (टोंक-सवाईमाधोपुर) से लगभग 2.250 मीटर दूर है तो अन्य ख०न० को मुख्य सड़क से 100 से 500 मीटर की दूरी किस प्रकार मानी गयी है उसी प्रकार हमारे ख०न० की दूरी भी 100-500 मीटर मानी जाकर मुआवजा तय करने बाबत निवेदन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि ख०न० 1076,1077 का अवार्ड भी अन्य ख.न.1213,1214,1230,1235, 1236,1237, 208/2765, 208/2730, 2178/2585,2177,2178,1279,2185 एवं ख०न० 1228,1230,1231 ,1229, 1239,2167 ,2180,2181,2182,2184 की दर से दिलवाया जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

.....(2).....

जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2028 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें अवाप्त भूमि की **किस्म बाराणी-2** दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा-3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रयपत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम में डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये हैं प्रार्थीगण की ख0न0 1076,1077 की भूमि मुख्य सड़क से 500मीटर से अधिक दूरी पर होने के कारण निर्धारित डी.एल.सी. दर 6,60,089/-रु है0 के हिसाब से तय की गयी है। इसलिए प्रार्थीगण कोई भी बढी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया। वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम मुई के ख0न0 1076 रकबा 0.0156 है0 ख0न0 1077 रकबा 1.0179 है0 अवाप्त भूमि का मुआवजा पडौसी ख0न0 1213,1214,1230,1235,1236,1237,208/2765, 208/2730, 2178/2585, 2177,2178, 1279,2185 एवं ख0न0 1228,1230,1231,1229,1239, 2167,2180,2181,2182,2184 के अनुसार मुख्य सड़क से 500 मीटर तक की दूरी पर मानते हुए निर्धारित करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। किन्तु मुताबिक पटवारी रिपोर्ट मुई से पचाला जाने वाली ग्रेवल सड़क से जिसको मुआवजे के निर्धारण हेतु मुख्य सड़क माना गया है से ख0न0 1076,1077 की दूरी 500 मीटर

.....(3).....


  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

(प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 33/2020 श्योकरण वगै. बनाम सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति)

से अधिक है तथा उक्त ख0न0 के आस पास कोई मुख्य सड़क नहीं है टोंक—सवाईमाधोपुर मुख्य सड़क उक्त ख0न0 2.250 कि.मी. दूरी पर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त भूमि का मुआवजा मुख्य सड़क से 500 मीटर से अधिक दूरी की दर से ही दिया जा सकता है। किन्तु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट उक्त ख0न0 के आस पास कच्चा रास्ता मुई से कपूरपुरा जाने वाला एवं ग्रेवल रास्ता मुई से पचाला जाने वाला के अलावा कोई भी डामरीकृत सड़क नहीं गुजर रही है तो सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा ख0न0 1213,1214,1230,1235,1236,1237,208 / 2765,208 / 2730, 2178 / 2585, 2177,2178,1279,2185 एवं ख0न0 1228,1230,1231,1229,1239, 2167,2180,2181, 2182,2184 का अवार्ड पारित करते समय उक्त दोनो रास्तो मे से ग्रेवल सड़क वाले रास्ते को मुख्य सड़क माना गया है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज एवं प्राप्त पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ख0न0 1076,1077 मुख्य सड़क अर्थात ग्रेवल सड़क से 500 मीटर की दूरी मे होना साबित नहीं होता है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 12.6.2019 मे किसी प्रकार का हस्तेक्षप करना न्यायोचित नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जहाँ तक मुख्य सड़क के निर्धारण का प्रश्न है तो टोंक—सवाईमाधोपुर से जिस ग्रेवल सड़क को मुआवजा निर्धारण हेतु मुख्य सड़क मानकर ख0न0 1213,1214,1230,1235,1236,1237, 208 / 2765,208 / 2730, 2178 / 2585,2177,2178,1279,2185 एवं ख0न0 1228,1230, 1231,1229,1239, 2167,2180,2181, 2182,2184 का जो अधिक मुआवजा निर्धारण किया है उस संबंध में भुगतान करने वाले पक्षकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यदि कोई आपत्ति है तथा ग्रेवल सड़क को मुख्य सड़क मानना नियमानुसार उचित नहीं है तो वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के जिला स्तरीय अधिकारियों के अतिरिक्त उच्चाधिकारियों को भी भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

  
(राजेन्द्र किशन)  
जिला कलेक्टर  
सवाईमाधोपुर